न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 80 / 19 वाद GCMS NO : 2019/00284
पूर्व प्रकरण संख्या : 37 / 04

1. श्रीमती अम्बा बाई विधवा श्री भगवानलाल जी कुमावत, निवासी 120 नाग मार्ग, भीण्डर की हवेली के पास, चांदपोल बाहर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. सुरेशचन्द्र कुमावत पिता स्व. श्री भगवान लाल जी कुमावत, आयु वयस्क, निवासी 120 नाग मार्ग, भीण्डर की हवेली के पास, चांदपोल बाहर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

.....वादीगण

बनाम

1. मुक्कमील हुसैन पिता श्री मुज्जफर हुसैन मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी एल–42 सज्जननगर, उदयपुर
2. विष्णु मेहरा सूर्यवंशी (मोची) पिता श्री छोटेलाल जी सूर्यवंशी (मोची) निवासी 79. चमनपुरा हाथीपोल बाहर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. ताराशंकर पिता श्री चतरभुज जी नागदा (ब्राह्मण) निवासी 27. आरा मशीन वाली गली, दूधिया गणेश जी, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4. श्रीमती चौसर देवी पत्नी श्री ताराशंकर जी नागदा (ब्राह्मण) निवासी 27, आरा मशीन वाली गली, दूधिया गणेश जी, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
5. कैलाशचन्द्र पिता श्री पन्नालाल जी तेली, निवासी 15–बी, कृष्णा कॉम्पलेक्स, सज्जनगढ रोड, उदयपुर तह. गिर्वा, जिला उदयपुर
6. विजयराम पिता श्री सवलाराम जी तेली, निवासी ग्राम बूझडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
7. टमु देवी पत्नी श्री रोशनलाल सिंघल, निवासी 338 मास्टर कॉलोनी, उदयपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
8. अनुराधा सुखवाल पुत्री श्री भेरूलाल जी सुखवाल, निवासी 328 चर मार्ग, अम्बामाता स्कीम, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
9. चन्द्रकला पत्नी श्री सुरेश जी कुमावत (अजमेर) निवासी 203 अगर नगर ख्वा, ओ. टी.सी. स्कीम नगर रोड, उदयपुर ब्राह्मण) निवासी 27, आरा मशीन वाली गली दुनिया गणेश जी, उदयपुर, तहसील निर्वा, जिला उदयपुर
10. ओमप्रकाश पिता श्री रामचन्द्र जी कुमावत निवासी 3. बजरंगमार्ग, चांदपोल बाहर उदयपुर
11. गायत्री देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश जी कुमावत निवासी 3. बजरंगमार्ग, चांदपोल बाहर उदयपुर
12. दिनेश कुमार पिता श्री भेरूलाल जी लखारा, निवासी ग्राम बाधपुरा, तहसील झाडोल जिला उदयपुर
13. चन्द्रप्रकाश पिता श्री भेरुलाल जी लखारा, उम्र 16 वर्ष, नाबालिग जरिये माता प्राकृतिक संरक्षक श्रीमती [illegible] जी लखारा, निवासी ग्राम बाधपुरा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.03 15:47:13 IST
Reason: SelfAttested

14. पुष्पा देवी पत्नी श्री पुखराज जी लखारा, निवासी सज्जन नगर, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
15. राजकुमारी पत्नी श्री रोशनलाल जी तेली, निवासी 1, सज्जनगढ रोड, उदयपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

.......प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः– श्री भगवानलाल पालीवाल अधिवक्ता वादी
श्री सम्पतलाल बोहरा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 9

निर्णय

दिनांक :

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है वादीगण एवं प्रतिवादीगण की कृषि भूमि ग्राम सीसारमा तहसील गिर्वा जिला में स्थित है जिसके आराजी संख्या 2702 रकबा 0.0400 हेक्टर, 2703 रकबा 0.1000 हेक्टर एवं आराजी संख्या 2704 रकबा 0.3700 हेक्टर किता 3 रकबा 0.5100 हेक्टर होकर जिसका चाह आराजी संख्या 2697 है। उपरोक्त वादग्रस्त जमीन में वादीगण का 10/82 वां हिस्सा हैं तथा प्रतिवादी के पूर्व स्वामी एवं अधिकारी श्री रोशन लाल पिता श्री मोहनलाल तेली थे, जिसने श्री अमर सिंह पिता श्री करण सिंह जी एवं श्री रघुराज सिंह पिता श्री करण सिंह जी बेचान किया जिसका राजस्व रेकर्ड में जरिये नामान्तरकरण संख्या 1774 दिनाक 2–9–2000 से अमलदरामद हुआ हैं।उक्त खरीददारों ने प्रतिवादी को बिकाव किया जिसका नामान्तरकरण संख्या 3264 दिनांक 18–3–2002 के द्वारा राजस्व रेकर्ड चौसाला जमाबन्दी सम्वत् 2056 से 2059 में अमलदरामद हुआ हैं तथा प्रतिवादी उपरोक्त जमीन के 72/ 82 (बोहत्तर बटा बरियासी) हिस्सा का खातेदार कृषक निर्मित हुआ हैं। वादीगण का आज भी वादग्रस्त भूमि में अपना 10/ 82 वां हिस्सा होकर उसके कब्जे काश्त में हैं। प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में अपना हिस्सा 72/ 82 में से श्री विष्णु मेहरा सूर्यवंशी को 5100 वां हिस्सा विक्रय किया हैं। श्री ताराशंकर पिता श्री चतर्भुज जी नागदा एवं श्रीमती चौसर देवी पत्नी श्री ताराशंकर जी नागदा को बेचान किया जिसका नामान्तरकरण संख्या दिनांक 4–4–03 हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने श्री केलाशचन्द्र पिता श्री पन्नालाल जी तेली को बेचान किया जिसका नामान्तरकरण संख्या 2522 दिनांक 1–5–2003 हैं। प्रतिवादी संख्या–1 ने श्री विजय राम पिता श्री सवलाल जी तेली एवं श्रीमती टमूदेवी पत्नी श्री रोशनलाल जी सियाल को अपने हिस्से की जमीन का भू भाग विक्रय किया जिसका नामान्तरकरण संख्या 2545 दिनांक 6–6–2003 है। प्रतिवादी संख्या–1 ने श्रीमती अनुराधा सुखवाल पुत्री श्री भेरूलाल जी सुखवाल को अपने हिस्से की जमीन का भू–भाग विक्रय किया जिसका नामान्तरकरण संख्या 2588 हैं। प्रतिवादी संख्या–1 अपने हिस्से की जमीन का श्रीमती चन्द्रकला पत्नी श्री सुरेन्द्र जी कुमावत को बिकाव किया जिसका नामान्तरकरण संख्या 2589 हैं। प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sevi Punadia
Date: 2024.06.03 15:47:13 IST
Reason: SelfAttested

संख्या–1 ने श्री ओमप्रकाश पिता श्री रामचन्द्र जी कुमावत एवं श्रीमती गायत्री देवी धर्म पत्नी श्री ओमप्रकाश जी कुमावत को अपने हिस्से की जमीन का भू–भाग बिकाव किया जिसका नामान्तरकरण संख्या 2590 हैं तथा प्रतिवादी संख्या–1 ने अपने हिस्से की जमीन का भू–भाग श्री दिनेश कुमार पिता श्री भेरूलाल जी लखारा, श्री चन्द्रप्रकाश पिता श्री भेरूलाल जी लखारा एवं श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री पुखराज जी लखारा को बिकाव की जिसका नामान्तरण संख्या 2591 हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–1 के मध्य विभाजन नहीं हुआ है। सभी अपने अपने हिस्से के अनुपात में काबिज हैं। प्रतिवादी संख्या–1 (एक) ने अपने हिस्से की भूमि 72/82 में से उपरोक्त उल्लेखित बिकावों द्वारा बिकाव की है, तथा प्रतिवादी संख्या–1 का विवादित भूमि में अपने हिस्से की भूमि 1539 / 5100 ही शेष रही हैं। वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि हैं । उक्त भूमि कृषि के ही काम में आ रही है। प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा प्रतिवादी संख्या–2 को बिकाव की तत्पश्चात् इनके द्वारा उक्त भूमि का कृषि से अकृषि प्रयोजन में उपयोग लेने के उद्देश्य से निवास प्रयोजन निर्माण कर लिये हैं तथा निर्माण करने पर उतारू है। वर्तमान में भी प्रतिवादी संख्या–1 स्वयं बिना अधिकार उक्त भूमि की आराजी संख्या 2704 में मकानात निर्माण कर लिये हैं तथा उक्त आराजी के उत्तर दिशा में पक्की कोट बना रहा है जिसे उसे बनाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या–1 को उक्त निर्माण कार्य नहीं करने बाबत् कहा और उसे मना किया तो वह नहीं माना तथा झगड़ा करने पर उतारू हुआ और कहा कि मेरी जमीन हैं जिससे मैं चाहूं तब रास्ता रोक सकता हूं तथा चाहे अनुसार निर्माण करा सकता हूं। इसके अतिरिक्त वादीगण के सिजारी को धमकी देते हैं। वादीगण को बोला कि उनकी जमीन मुझे बेंच दे नहीं तो रास्ता बंद कर दूंगा तथा उनको खेती नहीं करने देगा तथा उनको जमीन से बेदखल कर दूंगा । अतः निवेदन है कि वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण के कब्जे काश्त के 10/82 वां हिस्सा अपने हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाब मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि राजस्व ग्राम सीसारमा में आराजी नम्बर 2702, 2703, 2704 स्थित है जिसके साबिक नम्बर 790 है। लेकिन वादग्रस्त आराजीयात व आराजी चाह में वादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। वादीगण ने उक्त आराजीयात में 10/82 वां हिस्सा बिना अधिकार के राजस्व कर्मचारियों से मिलकर गलत दर्ज करा लिया है, जबकि वादीगण ने यह आराजीयात खातेदारान् से नहीं खरीदी है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजीयात में 72/62 वां हिस्सा है जो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है व काबिज है तथा प्रतिवादीगण ने आपस में अपने–अपने हिस्सेनुसार बंटवाड़ा कर अपने–अपने हिस्से की भूमि पर मकान बना लिये है। प्रतिवादीगण ने विवादित आराजीयात के पूर्वी भाग पर अपने रास्ते हेतु छोड़ दिए है। विवादीत आराजीयात के पूर्वी भाग पर अपने रास्ते हेतु छोड़ दिए है, विवादीत आराजीयात के उत्तरी दिशा में वादीगण की दिगर अराजीयात है। वादीगण के दिगर आराजीयात के उत्तरी दिशा में उसके व विवादित भूमि के बीच प्रतिवादीगण के बने कोट को गिराकर वादीगण ने फाटक खोल दी है जबकि वादीगण को विवादीत भूमि पर फाटक खोलने का कोई हक व अधिकार नहीं है, ना विवादित आराजीयत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.03 15:47:13 IST
Reason: SelfAttested

में होकर वादी को आने–जाने का कोई अधिकार है। श्रीमती अम्बाबाई ने आराजी नम्बर 796 / 2, 795, 970 लक्ष्मीलाल से दिनांक 22–6–1976 को क्रय की गई थी, जिस के आधार पर नामान्तकरण सख्या 1280 खोला गया था। वादीगण द्वारा कभी भी विवादित आराजी नहीं खरीदी है बल्कि बिना किसी आधार के वादीगण के नाम 10 / 82 वां हिस्सा दर्ज कर दिया गया है जिसे रिकार्ड से हटाया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादीगण के विरूद्ध व प्रतिवादीगण के पक्ष मे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा फरमाई जावे कि वादग्रस्त भूमि के उत्तर दिशा में वादीगण ने जबरन फाटक बिठा दी है। उसे हटवाया जाकर पत्थर कर कोट बनाया जाये व वादीगण से वसूल कराया जाये तथा वादीगण को आदेश बक्षाया जावे कि वो विवादग्रस्त भूमि में हो कर आवे जावे नहीं न हस्तक्षेप करें ।

वादीगण द्वारा काउण्टर क्लेम का जवाब देते हुए कथन किया गया कि यह कि वादीगण द्वारा आराजी नम्बर 796 / 2, 795 व 970 लक्ष्मीलाल से क्रय की है व उसी के आधार पर वादीगण के नाम नामान्तरकरण खुला हो व उसी के आधार पर वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकन किया गया हो। जिससे प्रतिवादीगण उसको हटवाने का अधिकार नही है। वादीगण की भूमि में जाने वाले रास्ते पर यानि कि विवादित भूमि के उत्तर में जहां पर वादी ने फाटक उगवाई उसको लगवाने का वादीगण को पूर्ण अधिकार है जिसे वह नही हटवा सकता है। वादीगण को अपने खेतों में जाने का यही एक मात्र रास्ता उपलब्ध है व उसे जाने आने का पूर्ण अधिकार है जिसे प्रतिवादीगण को रोकने का कोई अधिकार नही है। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण वादीगण के विरुद्ध कोई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ना ही वादी द्वारा लगायी फाटक को हटाने का अधिकारी है। जिससे प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम सव्यय खारिज फरमाया जावे ।

प्रतिवादी संख्या 15 द्वारा जवाब मय प्रतिदावा पेश कर कथन किया गया कि राजस्व ग्राम सीसारमा, तहसील गिर्वा में आराजी नम्बर 2702 रकबा 0.0400 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2703 रकबा 0.1000 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 2704 रकबा 0.3700 हैक्टयर, कुल किता 3 रकबा 0.5100 हैक्टयर, भूमि स्थित नहीं है, ना ही उक्त जमीन में वादीगण का 10 / 82वां हिस्सा है। यह जमीन लक्ष्मीलाल पिता मोतीलाल जी कुमावत की होना इन्द्राज दुरुस्ती के प्रार्थना पत्र में आप न्यायालय द्वारा वादीगण के मुकाबले दिनांक 9.1.2006 को निर्णय से तय किया जा चुका है तथा इस नामान्तरकरण सं. 3235 दिनांक 7.3.2006 द्वारा यह जमीन वादीगण के बजाय जमाबन्दी में लक्ष्मीलाल पिता मोतीलाल जी कुमावत निवासी चांदपोल के नाम रद्दोबदल किया जा चुका है तथा लक्ष्मीलाल जी के देहावसान के बाद विरासत से नर्बदाशंकर, गजेन्द्र कुमार, राधेश्याम व रूपाबाई के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। इन सबने मिलकर अपना कुलिया 10 / 82 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 15 राजकुमारी पत्नी श्री रोशनलाल जी तेली को विक्रय कर दिया जिससे नामान्तरकरण संख्या [illegible] द्वारा प्रतिवादी संख्या 15 राजकुमारी के नाम विक्रय के आधार पर खोला जाकर जमाबन्दी में अमल दरामद हो गया है, उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.03 15:47:13 IST
Reason: SelfAttested

जमीन आराजी चाह नम्बर 2697 से पीवल होती है, उपरोक्त जमीन में वादीगण का 10/82वां हिस्सा होने की बात मनगढन्त व जुटी है। प्रतिवादी संख्या 15 का वादग्रस्त जमीन में 10/82वां हिस्सा है तथा उसी का कब्जा होकर काश्त कर रही है तथा अन्य प्रतिवादीगण से प्रतिवादी संख्या 15 का कोई लेना–देना नही है एवं वादीगण का नाम जमाबन्दी में गलत इन्द्राज हो जाने से लक्ष्मीलाल कुमावत ने आप न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया और आप न्यायालय ने इन्द्राज दुरूस्त करते हुए वादीगण के 10/82वां हिस्से के बजाय लक्ष्मीलाल कुमावत के नाम इन्द्राज करने का आदेश दिया जिसके आधार पर राजस्व जमाबन्दी से वादीगण का नाम हटाया जाकर लक्ष्मीलाल के नाम पर इन्द्राज किया गया एवं लक्ष्मीलाल के स्वर्गवास हो जाने से लक्ष्मीलाल के वारिसान के नाम इन्द्राज किया गया तथा लक्ष्मीलाल के वारिसान ने कुलिया 10/82 वां हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 15 राजकुमारी को विक्रय कर दिया व मौके पर कब्जा सिपुर्द कर दिया इस आधार पर प्रतिवादी संख्या 15 राजकुमारी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ एवं राजकुमारी उक्त जमीन की मालिक होकर काबिज चली आ रही है। वादीगण का कथित जमीन से दूर दूर तक कोई सम्बन्ध नही है। वादीगण ने ये सब जानते हुए कि उसका कोई हक व हिस्सा उपरोक्त जमीन में नही है फिर भी गलत वाद पेश किया जो किसी भी सूरत में चलने काबिल नहीं है एवं अन्य प्रतिवाद अपन किसको विक्रय किया या नहीं किया इसका ज्ञान प्रतिवादी संख्या 15 को नहीं है। अतः प्रार्थना है कि प्रतिदावा स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि वे प्रतिदावे की वादग्रस्त आराजीयात आराजी संख्या 2702, 2703, 2704 कुल किता 3 रकबा 0.5100 हैक्टयर, भूमि में प्रतिवादी संख्या 15 के 10/82 वे हक व हिस्से में दखलअन्दाजी न करें न किसी से करावें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा अवगत कराया गया कि वादीगण वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार नहीं है एवम् बिना किसी हक एवं अधिकार के प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से वाद पेश किया गया है। उभयपक्ष को सुना गया। उभयपक्ष को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो अवलोकन किया गया। अवलोकन पश्चात् न्यायालय का मत है कि वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दायर कर राजस्व ग्राम सीसारमा तहसील गिर्वा में स्थित भूमि जिसके आराजी संख्या 2702 रकबा 0.0400 हेक्टर, 2703 रकबा 0.1000 हेक्टर एवं आराजी संख्या 2704 रकबा 0.3700 हेक्टर किता 3 रकबा 0.5100 हेक्टर होकर जिसका चाह आराजी संख्या 2697 है। उक्त आराजीयात में वादीगण के 10/82 वे हिस्से में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है, किन्तु वादीगण वादग्रस्त आराजीयात के वर्तमान राजस्व अभिलेखों में खातेदार नहीं है, ना ही वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में या दस्तावेजों के माध्यम से इस बात का अंकन किया गया है कि उनका वादग्रस्त आराजीयात में किस प्रकार से हिस्सा बनता है। यदि वादीगण का किसी अन्य कारण से वादग्रस्त भूमि में हक व अधिकार निहित होता भी है, तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] इस धारा [illegible] अनुतोष नहीं प्राप्त किया जा सकता है। वादीगण को, वादग्रस्त भूमि में बनने वाले [illegible] हिस्से को साबित कराने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2024.06.03 15:47:13 IST
Reason: SelfAttested

घोषणा का वाद दायर कर पूर्व की जमाबन्दीयां जिसमे स्पष्ट हिस्सा अंकित हो, से लगातार पश्चातवर्ती जमाबन्दी जहां हिस्सा गलत दर्ज हुआ, तक श्रखलाबद्ध जमाबन्दीयां प्रस्तुत करनी चाहिये थी, किन्तु वादीगण द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिससे श्रंखलाबद्ध दस्तावेज के अभाव में वादीगण का वाद साबित नहीं होता है। इस हेतु वादीगण सक्षम न्यायालय में अपने अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

चूंकि वादग्रस्त आराजीयात मे वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा इसलिए नहीं जारी की जा सकती है, क्यों कि वादी वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में खातेदार नहीं है, इसलिए वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। इसी प्रकार वादीगण अब खातेदार नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध के भी वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ना ही प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिदावे में सभी खातेदारों को पक्षकार बनाय गया है।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिदावा वादी के विरूद्ध पेश किया गया। वादीगण उक्त भूमि पर वर्तमान में खातेदार नहीं है, वादिया द्वारा उक्त भूमि का बिकाव इसके नये खातेदार को करने के कारण प्रतिवादी के प्रतिदावे में स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा अपना पक्ष ठोस आधारों पर साबित नहीं कराया गया है। जिससे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.03 15:47:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या : 80/19

अनवान : अम्बाबाई बनाम मुक्कमील हुसैन व अन्य

निर्णय : वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. मुकद्मा 80/19 सन 2019 अनवान (1) श्रीमती अम्बा बाई विधवा श्री भगवानलाल जी कुमावत, निवासी 120 नाग मार्ग, भीण्डर की हवेली के पास, चांदपोल बाहर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (2) सुरेशचन्द्र कुमावत पिता स्व. श्री भगवान लाल जी कुमावत, आयु वयस्क, निवासी 120 नाग मार्ग, भीण्डर की हवेली के पास, चांदपोल बाहर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम (1) मुक्कमील हुसैन पिता श्री मुज्जफर हुसैन मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी एल–42 सज्जननगर, उदयपुर (2) विष्णु मेहरा सूर्यवंशी (मोची) पिता श्री छोटेलाल जी सूर्यवंशी (मोची) निवासी 79. चमनपुरा हाथीपोल बाहर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (3) ताराशंकर पिता श्री चतरभुज जी नागदा (ब्राह्मण) निवासी 27. आरा मशीन वाली गली, दूधिया गणेश जी, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (4) श्रीमती चौसर देवी पत्नी श्री ताराशंकर जी नागदा (ब्राह्मण) निवासी 27, आरा मशीन वाली गली, दूधिया गणेश जी, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (5) कैलाशचन्द्र पिता श्री पन्नालाल जी तेली, निवासी 15–बी, कृष्णा कॉम्पलेक्स, सज्जनगढ रोड, उदयपुर तह. गिर्वा, जिला उदयपुर (6) विजयराम पिता श्री सवलाराम जी तेली, निवासी ग्राम बूझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (7) टमु देवी पत्नी श्री रोशनलाल सिंघल, निवासी 338 मास्टर कॉलोनी, उदयपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (8) अनुराधा सुखवाल पुत्री श्री भेरूलाल जी सुखवाल, निवासी 328 चर मार्ग, अम्बामाता स्कीम, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (9) चन्द्रकला पत्नी श्री सुरेश जी कुमावत (अजमेर) निवासी 203 अगर नगर ख्वा, ओ.टी.सी. स्कीम नगर रोड, उदयपुर ब्राह्मण) निवासी 27, आरा मशीन वाली गली दुनिया गणेश जी, उदयपुर, तहसील निर्वा, जिला उदयपुर (10) ओमप्रकाश पिता श्री रामचन्द्र जी कुमावत निवासी 3. बजरंगमार्ग, चांदपोल बाहर उदयपुर (11) गायत्री देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश जी कुमावत निवासी 3. बजरंगमार्ग, चांदपोल बाहर उदयपुर (12) दिनेश कुमार पिता श्री भेरूलाल जी लखारा, निवासी ग्राम बाधपुरा, तहसील झाडोल जिला उदयपुर (13) चन्द्रप्रकाश पिता श्री भेरुलाल जी लखारा, उम्र 16 वर्ष, नाबालिग जरिये माता प्राकृतिक संरक्षक श्रीमती लागी बाई पत्नी श्री भेरूलाल जी लखारा, निवासी ग्राम बाधपुरा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर (14) पुष्पा देवी पत्नी श्री पुखराज जी लखारा, निवासी सज्जन नगर, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (15) राजकुमारी पत्नी श्री रोशनलाल जी तेली, निवासी 1, सज्जनगढ रोड, उदयपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर श्री भगवानलाल पलीवाल अधिवक्ता वादी एवं श्री सम्पतलाल बोहरा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 9 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि–

वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा अपना पक्ष ठोस आधारों पर साबित नहीं कराया गया है। जिससे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

और इस वाद के खर्चे लेखे ....रुपये की राशि ....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ....द्वारा ....को दी जाए।

यह आज तारीख ....8.............माह ....5.....सन् ....24........... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश ....
पद ....

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.03 15:47:13 IST
Reason: SelfAttested

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.03 15:47:13 IST
Reason: SelfAttested